न्यायालय लैण्ड रेकर्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर.ए.एस.)

रा.प्रा.प.संख्या 198 / 2023

प्रार्थी — **बनाम** — **अप्रार्थी**

1. भरत पोलाजी पुत्र गैरीबाई (पुत्री खीमाराम)
2. मगन लाल पुत्र गैरीबाई (पुत्री खीमाराम)
3. मंछाराम पुत्र गैरीबाई (पुत्री खीमाराम)
4. रतिलाल पुत्र खीमाराम
5. रामलाल पोलाजी पुत्र गैरीबाई (पुत्री खीमाराम)
6. शंकरलाल पुत्र खीमाराम

सर्वजातियान–घांची
सर्वनिवासियान–सिरोही
तहसील व जिला सिरोही

1. स्टेट जरिए, तहसीलदार
तहसील व जिला सिरोही

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर सिरोही (राज.) सत्यमेव जयते

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड

आदेश

दिनांक 30–01–2024

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते दुरूस्त करने राजस्व रेकर्ड हेतु अप्रार्थी के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 01.12.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि भूमि मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में स्थित है जिसकी विगत राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी संवत 2071–2074 के अनुसार खाता सं नया 40 व पुराना 37 खसरा संख्या 805 क्षेत्रफल 0.4500 हेक्टेयर किस्म बारानी–1 कुल खसरा 1 व कुल रकबा 0.4500 हेक्टेयर है। वर्णित कृषि आराजी वर्तमान खसरा संख्या 805 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म बारानी 1 का पुराना खसरा संख्या 575 / 360 जिसका मूल नंबर 360 मी. है एवं उक्त मूल खसरा संख्या 360 मी. में से वक्त सेटलमेंट प्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी के पुश्तैनी कब्जे काश्त के आधार पर भू–प्रबंधक विभाग द्वारा उक्त खसरा संख्या 360मी. में से 0.4500 हैक्टेयर कृषि आराजी का हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारियों के नाम से आवंटित कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम किया हुआ है। भू–प्रबंधक विभाग द्वारा प्रार्थीगण के पुर्वरसाधिकारी को आवंटित कृषि आराजी रकबा 0.4500 हैक्टेयर का राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करते वक्त सहवन से राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थीगण के पुर्वरसाधिकारी के कब्जे स्वामित्व वाले मूल स्थान की बजाय उक्त खसरा संख्या को अन्य जगह पर तरमीम किया हुआ है जो राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा त्रुटीवश नक्शे में गलत जगह पर तरमीम किया है जबकि प्रार्थीगण के पूर्वरसाधिकारी एवं

प्रार्थीगण स्वयं पिछले कई वर्षों से वर्तमान खसरा संख्या 805 रकबा 0.4500 हैक्टेयर के भू–भाग/हिस्से पर बतौर खातेदार/कृषक काबिज है एवं कब्जा काश्त कर रहे है। प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खातेदारी के खसरा संख्या 805 को राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वरसाधिकारियों के वास्तविक कब्जे की बजाय त्रुटीवश अन्य जगह पर तरमीम करने से प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली वास्तविक कृषि आराजी वर्तमान में खसरा संख्या 790 बिलानाम सरकार दर्ज है जिस कारण प्रार्थीगण को बहुविवाद में उलझना पड रहा है एवं उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रार्थीगण को उक्त त्रुटी की जानकारी होने पर उक्त त्रुटी को सुधारने (दुरुस्ती) हेतु हल्का पटवारी एवं अप्रार्थी को निवेदन किये गये लेकिन बावजूद निवेदन के आज दिन तक अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड नक्शा मे वर्तमान खसरा संख्या 805 रकबा 0.4500 हैक्टेयर की तरमीम खसरा संख्या 790 में प्रार्थीगण के वास्तविक एवं पुश्तैनी कब्जे के आधार पर नहीं हुई है एवं सहवन से राजस्व रेकर्ड में अन्य खसरे में हुई गलत तरमीम संबंधित त्रुटी को सुधारकर सही तरमीम नहीं करने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में स्थित वर्तमान खसरा संख्या 805 रकबा 0.4500 हैक्टेयर की तरमीम खसरा संख्या 790 में प्रार्थीगण के वास्तविक एवं पुश्तैनी कब्जे के आधार पर जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है को राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करने व रेकर्ड दुरुस्ती हेतु अप्रार्थी को निर्देश दिलाना फरमावे । अन्य कोई राहत जो हितकर प्रार्थी के न्यायोचित हो दिलाना जाना फरमावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे संलग्न प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा राजपुरा (बाल्दा) पटवार हल्का बाल्दा भू.अभि.नि.क्षेत्र सिरोही तहसील व जिला सिरोही में जमाबंदी संवत 2071–2074, जमाबंदी संवत 2063–2066 जमाबंदी संवत 2058–2077, जमाबंदी संवत 2050–2053 जमाबंदी संवत 2042–2045 जमाबंदी संवत 2037–2040, मिसल बंदोबस्त संवत 2000, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा नया, नक्शा पुराना, नजरी नक्शा की प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तो उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01–12–23 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को जारी नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किये गये । उक्त प्रकरण मे अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने तहसीलदार सिरोही की ओर से जवाब पेश करने हेतु समय चाहने से न्यायहित में समय दिया गया ।

उक्त प्रकरण मे इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 30–01–2024 को अप्रार्थी स्टेट की ओर से जरिए क्रमांक/रीडर/विधि/2024–2025/2210 दिनांक 19.01.2024 को जवाब पेश किया जिसे शा.मि. किया गया तथा जवाब की प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई ।

अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने जवाब में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार मौजा राजपुरा का ख.स. 805 रकबा 0.4500 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 वादीगणों की खातेदारी दर्ज है। वर्तमान ख. नं 805 रकबा 0.4500 हैक्टेयर का पुराना ख. न. 575 / 360 हैक्टेयर जिनका मूल नं. 360 मी है। वादीगण का वर्तमान में मौका जांच अनुसार ख.न. 790 में है जो राजकीय बिलानाम भूमि है एवं ख.नं. 790 का पुराना न. भी 360 मी. है। वादीगण का वर्तमान खातेदारी ख. न. 805 है जबकि वादीगण का कब्जा 790 में है दोनो ही खसरा नं. मूल नं. 360 मी का भाग है यानि 360 मी. से बने है।

इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली दिनांक 30–01–2024 को अंतिम बहस मे रखी गई जिस पर वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई । हमने प्रकरण मे वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया । संपूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को तहसीलदार सिरोही के अपने जवाब में मौके एवं रेकर्ड की स्थिति अनुसार सही होना स्वीकार करने से तथा पैरोकार सरकार ने भी तहसीलदार सिरोही के जवाब के अनुसार प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का बाल्दा तहसील सिरोही में प्रार्थीगण के वर्तमान खसरा संख्या 805 रकबा 0.4500 हेक्टेयर की तरमीम प्रार्थीगण के वास्तविक एवं पुश्तैनी कब्जे के आधार पर खसरा संख्या 790 रकबा 0.4500 हेक्टेयर राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम (संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाए अनुसार) कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर पालना से न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(श्रीमती भावना सिंह)
लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
सत्यमेव जयते
सिरोही (राज०)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 30–01–2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

लैण्ड रेकर्ड आफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही (राज.)

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)